परिपत्र संख्या 53/27/2018 -जीएसटी

फाइल संख्या 354/255/2018-टीआरयू (पार्ट-2)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(कर अनुसंधान इकाई)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 9 अगस्त, 2018

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक/मुख्य आयुक्त/महानिदेशक/प्रधानआयुक्त/आयुक्त, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष करएवं सीमा शुल्क (सभी);

महोदया/महोदय,

विषय: पेट्रोरसायन और रसायनिक उत्पादों के विनिर्माण के लिए बचा कर रखे जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों में जीएसटी के लागू होने के बारे में स्पष्टीकरण - की बावत ।

ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें निरंतर आपूर्ति के दौरान पेट्रोरसायन और रसायनिक उत्पादों के विनिर्माण के लिए मेथाइल इथाइल किटोन (एमईके) फीड स्टॉक, पेट्रोलियम गैसों आदि को बचा कर रखे जाने पर जीएसटी के लागू होने के बारे में स्पष्टीकरण की मांग की गई है ।

2. इस संदर्भ में इस बात को याद किया जा सकता है कि विशिष्ट उत्पादों से संबंधित इसी प्रकार के मुद्दे पर परिपत्र संख्या 12/12/2017 - जीएसटी, दिनांक 26 अक्तूबर, 2017 और 29/3/2018-जीएसटी, दिनांक 25 जनवरी, 2018 को जारी करके इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है । ये परिपत्र यथावश्यक परिवर्तन के उपरांत उन मामलों पर भी लागू होते हैं जिनमें इस परिपत्र में उल्लिखित आपूर्ति की तरह ही आपूर्ति की बात शामिल है । यद्यपि, कुछ अन्य पेट्रोरसायन और रसायनिक उत्पादों के विनिर्माताओं से पुन: ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं जो कि पेट्रोलियम गैसों पर जीएसटी के लागू होने के बारे में स्पष्टीकरण को लेकर हैं । इन गैसों की आपूर्ति उनको ऑयल रिफाइनरियों के द्वारा इसी बात के लिए निर्धारित पाइपलाइनों के जरिए सतत आधार पर की जाती है । इसी दौरान इस कच्चे माल का एक हिस्सा ये विनिर्माता (रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई) अपने पास रख लेते हैं और बाकी मात्रा को ये ऑयल रिफाइनरियों को वापस कर देते हैं । इस बारे में एक विषय यह प्रकट

हुआ है कि क्या इस संव्यवहार में, इस प्रधान कच्चे माल की पूरी मात्रा, जो कि ऑयल रिफाइनरी द्वारा सप्लाई की जाती हो, पर जीएसटी लगाई जानी चाहिए या केवल उस निवल मात्रा पर जिसको कि ऐसे विनिर्माता पेट्रोरसायनों या रसायनिक उत्पादों के विनिर्माण के लिए अपने पास रोक लेते हैं ।

3. जीएसटी परिषद ने दिनांक 21.07.2018 को हुई अपनी 28वीं बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया और पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए एक सामान्य स्पष्टीकरण जारी किए जाने की सिफारिश की है कि ऐसे संव्यवहारों में किसी रिफाइनरी को उसी पेट्रोलियम गैस की निवल मात्रा के मूल्य पर जीएसटी का भुगतान करना होगा जिसे कि पेट्रोरसायन और रसायनिक उत्पादों के विनिर्माता के लिए रख लिया जाता है ।

4. तदनुसार, एतद्द्वारा, यह स्पष्ट किया जाता है कि, उपयुक्त मामलों में किसी रिफाइनरी को पेट्रोलियम गैस की उस निवल मात्रा पर ही जीएसटी का भुगतान करना होगा जिसको कि प्राप्तकर्ता विनिर्माता पेट्रोरसायन और रसायनिक उत्पादों के विनिर्माण के लिए अपने पास रख लेता है। फिर भी, रिफाइनरी को इस प्रकार लौटाई गई पेट्रोलियम गैस की मात्रा पर जीएसटी का उस समय भुगतान करना होगा जब वह उसे किसी अन्य व्यक्ति को आपूर्त कर दे । यह बात पुन: कही जाती है कि यह स्पष्टीकरण यथावश्यक परिवर्तनों सहित उन मामलों पर भी लागू होगा जिनमें ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति की बात शामिल हों, जहां कि फीड स्टॉक को प्राप्तकर्ता अपने पास रख लेता है और बाकी अवशिष्ट सामग्री को आपूर्तिकर्ता को वापस कर देता है । नेट बिलिंग प्राप्तकर्ता द्वारा अपने पास बचाकर रखी गई मात्रा पर ही की जाती है ।

5. यह स्पष्टीकरण केवल माल एवं सेवाकर (जीएसटी) कानूनों के संदर्भ में जारी किया जा रहा है और पिछले मुद्दों, यदि कोई हो,कासमाधानसारवान समय में लागू कानून के तहत किया जाएगा ।

भवदीय,

(डॉ. अजय कुमार)
तकनीकी अधिकारी (टीआरयू)